वित्तीय स्वीकति

संख्या: 14/2015/837- प्रो /51-2015-10(10)/2014

प्रेषक,

इन्द राज सिंह,
उप सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उ0 प्र0 शासन ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ :दिनांक 25 मार्च, 2015

विषय:- राज्य अतिथिगण के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री विनोद अग्रवाल, अपर सचिव, भारत सरकार के लखनऊ में पधारने पर उनके प्रवास व भोजन की व्यवस्था के निमित्त ताज होटल, गोमतीनगर, लखनऊ से सम्बन्धित बिल संख्या' 3431457324, दिनांक 26-03-2014 धनराशि रू0 47,915/- (रूपये सैंतालिस हजार नौ सौ पन्द्रह) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकति प्रदान करते हैं।

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना/संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर प्रोटोकाल अनुभाग को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे हैं ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक - मूलदेयक ।

भवदीय

(इन्द्र राज सिंह)
उप सचिव ।

संख्या: 14/2015/837 (1)प्रो/51-2015-10(10)/2014, तददिनांक्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

I- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभा-5,
3& मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3,
5- प्रबन्धक, होटल ताज विवान्ता, गोमतीनगर, लखनऊ।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से

(इन्द्र राज सिंह)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।